



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13062026-273416
CG-MH-E-13062026-273416

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2770]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2770]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुम्बई, 4 जून, 2026

का.आ. 2864(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, निचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित उपखंड स्तम्भ (4) में उल्लेखित जिलों के सम्बंध में गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में “वडोदरा – रतलाम तीसरी & चौथी लाइन (258.94 कि.मी.) परियोजना” के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी

क्रम स.	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विशिष्ट भूमि अधिग्रहण अधिकारी, इकाई-I	वडोदरा	वडोदरा
2	अधिक विशिष्ट भूमि अधिग्रहण अधिकारी	पंचमहल	पंचमहल
3	उप कलेक्टर एवं प्रांत अधिकारी,	दाहोद	दाहोद
4	उप कलेक्टर एवं प्रांत अधिकारी,	देवगढ़ बारिया	दाहोद
5	उप कलेक्टर एवं प्रांत अधिकारी,	लिमखेड़ा	दाहोद

[फा. सं. ई- 720047]

कन्हैया झा, मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th June, 2026

S.O. 2864(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Vadodara – Ratlam 3rd & 4th Line (258.94 Km)” in the State of Gujarat relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Special Land Acquisition Officer, Unit-I	Vadodara	Vadodara
2	Additional Special Land Acquisition Officer	Panchmahal	Panchmahal
3	Deputy Collector & Prant officer	Dahod	Dahod
4	Deputy Collector & Prant officer	Devghardh Baria	Dahod
5	Deputy Collector & Prant officer	Limkheda	Dahod

[F. No. E- 720047]

KANHAIYA JHA, Chief Engineer (Construction)-III